(12)

संख्या बी–3–2700/दस–2006–125/75–मो0वा0

प्रेषक,

डा0 बी0एम0 जोशी,
सचिव, वित्त (बजट),
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश
एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉकः 18 दिसम्बर, 2006

विषयः– राज्य कर्मचारियों को मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राज्य कर्मचारियों के लिए मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम की वर्तमान सुविधाओं में निम्न परिवर्तन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) <u>पात्रताः–</u>
रूपये 2720 प्रतिमाह मूलवेतन अथवा उससे अधिक प्राप्त करने वाले कर्मचारी मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु पात्र होगें।

(ii) <u>अनुमन्य अग्रिमः–</u>
मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम की अधिकतम सीमा 15,000/–रूपये या वाहन का पुर्वानुमानित मूल्य, जो भी कम हो, होगी।

टिप्पणीः– मूलवेतन का आशय दिनॉक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में मूलवेतन से है।

2– राज्य कर्मचारियों को दूसरी बार अथवा बाद के अवसरों के लिए मोपेड/आटो सायकिल अग्रिम तभी स्वीकृत किया जाय जबकि पिछले मोटर वाहन अग्रिम लेने की तिथि से कम से कम चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो।

3– राज्य कर्मचारियों से मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम की वसूली वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर–246(4) के अनुसार अधिकतम 70 मासिक किश्तों में की जायेगी।

4– जिन मामलों में पूर्व में मोपेड/आटो साइकिल अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है उन्हें इस शासनादेश के अन्तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री–ओपेन नहीं किया जायेगा।

5– यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगें।

– वित्तीय नियम संग्रह,खण्ड–5,भाग–1 में तद्नुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

(बी0एस0 जोशी)
सचिव, वित्त (बजट)

संख्या बी–3–2700(1)/दस–2006 तददिनांक

लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (लेखा) उ0प्र0, इलाहाबाद।
महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
सचिवालय के समस्त अनुभाग।
विधान परिषद तथा विधान सभा सचिवालय।
राज्यपाल सचिवालय।
निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
वित्त (लेखा) अनुभाग–1 को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5,भाग–1 में आवश्यक संशोधन हेतु।
वित्त (नियमावली कोष्ठक) अनुभाग (दो प्रतियाँ)

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
उप सचिव।

6– वित्तीय नियम संग्रह,खण्ड–5,भाग–1 में तदनुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

(बी0एन0 जोशी)
सचिव, वित्त (बजट)

संख्या बी–3–2700(1)/दस–2006 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1– महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (लेखा) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4– विधान परिषद तथा विधान सभा सचिवालय।
5– राज्यपाल सचिवालय।
6– निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7– वित्त (लेखा) अनुभाग–1 को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5,भाग–1 में आवश्यक संशोधन हेतु।
8– वित्त (नियमावली कोष्ठक) अनुभाग (दो प्रतियॉ)

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
उप सचिव।